आयुक्त उद्योग, वाणिज्य एवं सी.एस.आर.
राजस्थान सरकार
सत्यमेव जयते

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़
कैबिनेट मंत्री

श्री कृष्ण कुमार के.के. विश्नोई
राज्य मंत्री

जनकल्याण पोर्टल, राजस्थान सरकार।

industries.rajasthan.gov.in

व्हाट्सएप पर शेयर करें लाभार्थियों की सूची

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
आयुक्त उद्योग, वाणिज्य एवं सी.एस.आर.

योजना प्रारम्भ : 17 Dec 2019
अवधि तक मान्य : 31 Mar 2024

वित्त पोषित : राज्य

योजना का प्रकार : व्यक्तिगत, सामूहिक

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY)
(क्रियान्वयन अवधि 17.12.2019 से 31.03.2024)

-

· **उद्देश्य:-** प्रदेश में उद्यमों की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु बैंकांे के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के उद्देष्य से यह योजना प्रारम्भ की गई ।

· **ऋणदात्री संस्थान:-** योजना अन्तर्गत वित्तीय संस्थानों (राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाईनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम एवं सिडबी) के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

· **उद्यम के प्रकार:-** नये स्थापित होने वाले उद्यम के साथ-साथ पूर्व स्थापित उद्यम भी विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण करने पर लाभ हेतु पात्र।

· **पात्रता की शर्तें:-**
1. व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष याहोना आवश्यक ।
2. संस्थागत आवेदक (स्वयं सहायता समूह/सोसायटी/भागीदारी फर्म/एल.एल.पी.फर्म/कम्पनी) भी पात्र।
3. योजनान्तर्गत उद्यम का स्थापना क्षेत्र राजस्थान राज्य।

· **अपात्र आवेदक:-**
· ऐसे आवेदक जिनके परिवार में किसी भी सदस्य द्वारा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी योजना में विगत 5 वर्ष में पूंजीगत अनुदान अथवा ब्याज अनुदान लिया गया हो।
· ऐसे आवेदक जिनके परिवार में कोई भी सदस्य किसी वित्तीय संस्थान/बैंक का डिफाल्टर या दोषी हो। परिवार का तात्पर्य पति-पत्नी तथा नाबालिग बच्चे हैं।

· **ऋण की मात्रा:-** योजनान्तर्गत अधिकतम ऋण 10 करोड़ रुपये । व्यापार हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रूपये । ऋण का स्वरूप कम्पोजिट ऋण/सावधि एवं कार्यशील पूंजी (सी.सी.लिमिट सहित) । भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार 10 लाख रू. तक के ऋण परसम्पार्शिवक प्रतिभूति की मांग नहीं ।

· **ब्याज अनुदान:-** वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण परलाभार्थियों ब्याज अनुदान पाँच वर्ष तक नियमानुसार देय होगा:-

क्र.सं.	अधिकतम ऋण राषि	ब्याज अनुदान
1	25 लाख रू. तक	8 %
2	25 लाख रू.से अधिक एवं 05 करोड़ रू.तक	6%
3	05 करोड़ से से अधिक एवं 10 करोड़ रू. तक	5%

Ø बुनकर कार्ड धारक बुनकरों को एक लाख रूपये तक के ऋण तथा हस्तषिल्पी/दस्तकार/षिल्पी कार्ड धारकों को 3 लाख रू. तक के ऋण, जिसे कम्पोजिट ऋण अथवा सावधि ऋण अथवा कार्यषील पूंजी ऋण (सी. सी. लिमिट) के रूप में लिए जाने पर ब्याज का शत-प्रतिषत पुनर्भरण ।

· **प्रक्रिया:**-योजना में ऑनलाईन आवेदन हेतु SSO.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सिटीजन एप पर स्थित MLUPY के माध्यम प्रस्तुत करना होता है। 10 लाख रू तक के ऋण आवेदन पत्र बिना साक्षात्कार के एवं इससे अधिक ऋण आवेदन पत्र जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा साक्षात्कार पष्चात् चयनित आवेदन पत्र को वित्तीय संस्थानों को अग्रेषित किए जाते है।

· **अपात्र गतिविधियॉं:-**

Ø मांसमदिरा व मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण व विक्रय।
Ø विस्फोटक पदार्थ।
Ø परिवहन वाहन, जिसकी ऑन-रोड कीमत 10 लाख रु. से अधिक हो
Ø पुनःचक्रित न किये जा सकने वाले पॉलिथीन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद
Ø भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबन्धित उत्पाद/ गतिविधियाँ।
Ø कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (पषुपालन, पक्षीपालन, मत्स्यपालन सहित)
Ø खनन, रियल एस्टेट संबंधी गतिविधियां।
Ø शैक्षणिक संस्थान एवं कोचिंग संबंधी गतिविधियां।
Ø अलाभकारी संस्थाओं यथा एनजीओ, ट्रस्ट द्वारा संचालित गतिविधियां।

नोट: योजना अपडेशन कार्य प्रगति पर है!

योजना का संचालन

योजना प्रदायगी की अवधि/समय :	**60 दिन**
योजना के नामित अधिकारी :	**अतिरिक्त आयुक्त**

पात्रता

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-

1. संयुक्त लाभार्थी 2. व्यक्तिगत लाभार्थी

Individual applicants as well as institutional applicants (self-help groups / societies / partnership firms / LLP firms / companies)

The place of establishment of the enterprise under the scheme will be Rajasthan State.
The minimum age of the individual applicant shall be 18 years.

आवेदन कैसे करें

Process
Under the scheme the applications will have to be submitted online, whose process will be according to the guidelines prescribed for implementation of the Scheme. Loan applications up to Rs. 10 lakh can be forwarded directly to the banks without any interview and the loans above Rs. 10 lakh will be forwarded to the bank after being scrutinized by the District Level Task Force Committee.

Online Application
For online application you can go to the link **https://sso.rajasthan.gov.in** and go to the Citizen App and apply for scheme on MLUPY Icon.

समर्थन दस्तावेज़

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-

- **आधार कार्ड की प्रति***
- **पासपोर्ट साइज फोटो***
- **शिक्षा योग्यता मार्कशीट / प्रमाण पत्र की प्रति**
- **जाति प्रमाण पत्र की प्रति**
- **अन्य दस्तावेज*** : Self Certified Project Report

नोट : * आवेदन करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज को दर्शाता है |

लाभार्थी को देय लाभ

लाभ :	
लाभार्थी को मिलने वाली का विवरण	Through treasury
प्रदान करने का माध्यम	डीबीटी
भुगतान विवरण की विधि :	ONLINE

भुगतान का तरीका

20 त्रैमासिक किश्तों में 60 महीनों तक देय।

विस्तृत जानकारी के लिए पढ़े	

The Interest Subsidy will be granted to the beneficiaries on the loan provided by banks which will be payable as follows for five years: -

8% interest subvention - for loan amount Up to 25 Lakh , 6% interest subvention - for loan amount from 25 Lakh to 05 Crore , 5% interest subvention - for loan amount from 05 Crore to 10 Crore

अधिसूचना	Amendments to Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana	
अधिसूचना	Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana	
अधिसूचना	संशोधित अधिसूचना	
अधिसूचना	Amendments to Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana	
अधिसूचना	Amendments to Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana	
अधिसूचना	Amendments to Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana	
अधिसूचना	Amendments to Mukhyamantri Laghu Udyog Protsahan Yojana	

योजना संपर्क विवरण

क्र.स.	नोडल विभाग	नोडल अधिकारी का नाम पद	फ़ोन नंबर	ई-मेल	पता
1	आयुक्त उद्योग, वाणिज्य एवं सी.एस.आर.	**Shri R.K.Sethia** **Additional Commissioner, Industries**	1412227727	mlupy@rajasthan.gov.in	Udyog Bhawan, Tliak Marg, Jaipur

डेटा के अपडेशन के लिए नोडल अधिकारी

क्र.स.	विभाग	नोडल अधिकारी पद	फोन नं.	ई-मेल
1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम विभाग,उद्योग एवं वाणिज्य विभाग,राजस्थान खादी और ग्राम उधोग बोर्ड,राजस्थान वित्त निगम,राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम(रीको),राजस्थान बुनकर संघ,आयुक्त उद्योग, वाणिज्य एवं सी.एस.आर. ,ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा),उद्योग - राजस्थान लघु उद्योग निगम लि.,दिल्ली,मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर(डीएमआईसी),निवेश संवर्धन ब्यूरो (बीआईपी),राजस्थान हैण्डलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,राजकीय उपक्रम ब्यूरो,राजस्थान फाउंडेशन,उद्योग-भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीआईडीए),सेक्टर - उद्योग पोर्टल	RKAAMERIA.IND@RAJASTHAN.GOV.IN अतिरिक्त निदेशक	9414109360	RKAAMERIA@GMAIL.COM
2	आयुक्त उद्योग, वाणिज्य एवं सी.एस.आर.	CHANDRA MOHAN GUPTA महा प्रबंधक	9414416212	CHANDRA.M.RIS@GMAIL.COM
3	आयुक्त उद्योग, वाणिज्य एवं सी.एस.आर.	DINESH BHANDARI/PRG/DOITC प्रोग्रामर	9460548304	DBHANDARI.DOIT@RAJASTHAN.IN
4	आयुक्त उद्योग, वाणिज्य एवं सी.एस.आर.	KESAR LAL MEENA संयुक्त सचिव	9414000317	PD-SIR-RJ@NIC.IN
5	आयुक्त उद्योग, वाणिज्य एवं सी.एस.आर.	MEGH RAM MEENA महा प्रबंधक	9414250241	meghshashi66@gmail.com
6	आयुक्त उद्योग, वाणिज्य एवं सी.एस.आर.	RAHULDEV@RAJASTHAN.GOV.IN महा प्रबंधक	9982013376	dicbhilwara@rajasthan.gov.in
7	आयुक्त उद्योग, वाणिज्य एवं सी.एस.आर.	RAHULDEV@RAJASTHAN.GOV.IN महा प्रबंधक	9982013376	RAHULCHADRAPRABHADEV@GMAIL.COM

क्र.स.	विभाग	नोडल अधिकारी पद	फोन नं.	ई-मेल
8	आयुक्त उद्योग, वाणिज्य एवं सी.एस.आर.	SHERSINGH.SHEKHAWAT नोडल अधिकारी	9680397405	SWASTIK251007@GMAIL.COM
9	आयुक्त उद्योग, वाणिज्य एवं सी.एस.आर.	SUGREEV MEENA उप निदेशक, कम्प्यूटर	9414693068	SUGREEV.NAZIRA@GMAIL.COM

दस्तावेज़

क्र.स.	दस्तावेज़ के प्रकार / उप प्रकार	दस्तावेज संख्या/ जारी करने की दिनांक शीर्षक	विभाग	दस्तावेज़
कोई रिकॉर्ड नहीं मिला!				

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

क्र.स.	श्रेणी / उप श्रेणी	यूआरएल/ उपलब्धि तिथि/ शीर्षक	विभाग	संलग्न दस्तावेज़
कोई रिकॉर्ड नहीं मिला!				

योजना की स्थिति

क्र.स.	जिला	विधानसभा क्षेत्र	तहसील का नाम/ब्लॉक का नाम	लाभार्थी की संख्या
कोई रिकॉर्ड नहीं मिला!				

The Website is designed and developed through WebMyWay Tool (an emerging tool for website generation for GoR) by : RajCOMP Info Services Limited, Jaipur